



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल जिला - कोण्डागाँव, छत्तीसगढ़

☎ Telephone & ☎ Fax - 07848-259337 ✉ E-mail - dfokeshkal@gmail.com

GSTIN - 22AAAGK0512N1ZQ

क्रमांक/मा.चि./ 6819

केशकाल, दिनांक 24/12/2021

प्रति,

परियोजना निर्देशक,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई धमतरी
ब्लाक F-5 शिवराज ग्रिन्स सिहावा रोड़ धमतरी
493773 (छ.ग.)

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल, कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल एवं कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनमंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NHAI PIU DHAMTARI द्वारा Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishkhapatanam (Ch. 0.000- Ch. 124.661) in the state of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to Km 124.661) हेतु क्षेत्रफल - 228.0425 पंजीयन बाबत | Reg. No- FP/C.G./Road/119866/2021

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/1583 दिनांक 16.07.2021 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./4852 दिनांक 22.09.2021

— ☼ —

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कमियों की पूर्ति कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। उक्त प्रकरण में अवलोकन करने पर भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित मार्च 2019 में जारी की गई वन संरक्षण अधिनियम के गार्ड लाईन की हेण्ड बुक के चेक लिस्ट अनुसार नहीं है, तथा आपके द्वारा निम्नांकित जानकारी भी नहीं दी गई है:-

- (1) क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण राजस्व भूमि या वन भूमि में किया जाना उल्लेखित करें। वन भूमि पर किया जाना है तो संबंधित वनमण्डल से क्षेत्र का विवरण, रकबा, जी.पी.एस. सर्वे का विवरण प्रस्तुत करें।
- (2) आरेंज एरिया/राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर जिला कोण्डागाँव से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। (OA 1512 रकबा 2.5172 हैं. OA 1522 रकबा 1.8179 हैं.)
- (3) वृक्षारोपण हेतु संबंधित वनमण्डल से उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- (4) संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- (5) वन अधिकार मान्यता पत्र से संबंधित कलेक्टर जिला कोण्डागाँव से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यावाही की जा सकें।

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 6820
प्रतिलिपि :-

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागाँव (छ.ग.)
केशकाल, दिनांक 24/12/2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर जिला कोण्डागाँव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
4. नोडल अधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी धमतरी वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागाँव (छ.ग.)